प्रमाण पत्र

(उपखण्ड अधिकारी)
बिलाड़ा (जोधपुर)

प्रमाण पत्र एवं अधिपत्र-2021

प्रमाण पत्र

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों को आवागमन हेतु पास जारी किया जाता है। इस पास के धारक व्यक्ति को आवागमन के दौरान पुलिस/प्रशासन द्वारा रोका जाने पर यह पास दिखाया जाना अनिवार्य है। इस पास के धारक व्यक्ति को आवागमन के दौरान पुलिस/प्रशासन द्वारा रोकने पर उनसे सहयोग करें।

बिलाड़ा (जोधपुर)

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा (जोधपुर)